न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :—01/2025 /दावा/बउनवान/संजय बनाम महेन्द्र
जीसीएमएस संख्या 2025/00025

1. संजय पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)

......वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
   1/1 सचिव } पुत्रान श्री महेन्द्र जातिगण ब्राह्मण निवासीगण पाडलिया
   1/2 रोहित } हाल निवास दयानन्द कोलोनी बारां
2. योगेन्द्र पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
3. विजेन्द्र पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
4. गीताबाई पत्नि स्व. श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
5. संगीता वर्षे पत्नि श्री विजेन्द्र, जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल हाल निवास दयानन्द कॉलोनी बारां जिला बारां (राज०)
6. नीतू गालव पत्नि श्री योगेन्द्र गालव जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल हाल निवास दयानन्द कॉलोनी बारां जिला बारां (राज०)
7. श्यामलता पत्नि श्री महेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल हाल निवास दयानन्द कॉलोनी बारां जिला बारां (राज०)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी.एक्ट</u>

वकील वादी :— श्री अमित कुमार गौड
वकील प्रतिवादीगण :— श्री मनोज आर्य एवं श्री लवकुल गौड़
दायरा दिनांक: 03.01.2025 **निर्णय दिनांक: 16.04.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

1. यह कि वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 3 आपस में सगे भाई है व प्रतिवादी कम 4 वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 3 की सगी माता है।
2. यह कि वाके ग्राम पाडलिया पटवार क्षेत्र पाडलिया भू अभिलेख जयगान निरीक्षक क्षेत्र बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां राजस्थान में खाता संख्या 189 खसरा नं0 257 रकबा 3.63 हे०, खसरा नं०319 रकबा 0.31 हे०, खसरा नं0 518 रकबा 0.18 हे०, खसरा नं0 519 रकबा 0.21 हे0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 4.33 हे० व खाता संख्या

255 खसरा नं0 514 रकबा 1.16 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.16 हे० एवं खाता संख्या 269 खसरा नं0 1092 रकबा 0.29 हे०, खसरा नं0 1093 रकबा 0.06 हे०, खसरा नं० 35 रकबा 0.63 हे०, खसरा नं0 400 रकबा 0.35 हे०, खसरा नं० 401 रकबा 0.08 हे०, खसरा नं0 402 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 403 रकबा 0.21 हे0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.83 हे0, में हिस्सा 1/25 तथा खाता संख्या 428 खसरा नं0 256 रकबा 3.79 हे०, एवं खाता संख्या 313 खसरा नं0 1363/597 रकबा 0. 54 हे०, खसरा नं0 1365/655 रकबा 0.10 हे०, खसरा नं0 702 रकबा 0.44 हे०, खसरा नं0 705 रकबा 1.69 हे0, 706 रकबा 0. 21 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.98 हे0 स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 4 का नाम संयुक्त रुप से अंकित हो रहा है उक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 4 की पुश्तैनी व पैतृक सम्पत्ति है।

3. यह कि इसी प्रकार वाके ग्राम पाडलिया पटवार क्षेत्र पाडलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां राजस्थान–खाता संख्या 53 खसरा नं0 1337/626 रकबा 0.30 हे०, खसरा नं0 517 रकबा 1.00 हे0, खसरा नं0 522 रकबा 1.16 हे0, खसरा नं0 627 रकबा 0.31 हे0 कुल कता 4 कुल रकबा 2.77 हे० व खाता संख्या 54 खसरा नं0 81 रकबा 1.73 हे०, खसरा नं0 96 रकबा 2.04 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 3. 77 हे० आराजी प्रतिवादी कम 4 के खाते दर्ज है जिसमें खाता संख्या 53 की आराजी प्रतिवादी कम 4 गीताबाई के नाम वादी के पिता ने संयुक्त परिवार में निवास करते हुये अन्य आराजी से प्राप्त आय से खरीद किया गया था तथा खाता संख्या 54 की आराजी पूर्व में वादी के पिता बद्रीलाल के दत्तक पिता धूलीलाल से प्राप्त होने पर सैटलमेंट के दौरान बद्रीलाल द्वारा प्रतिवादी कम 4 गीताबाई के खाते दर्ज करवा दी गयी थी इस प्रकार आराजी खाता संख्या 53 व 54 की भूमि भी पुश्तैनी व पैतृक आराजी है जिसमें वादी को पैतृक हक अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार आराजी खाता संख्या 53 व 54 की भूमि भी वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 4 की पुश्तैनी व पैतृक आराजी है जिसमें वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 4 को 1/5–1/5 का हक अधिकार प्राप्त है।

4. यह कि वादी की मां अर्थात प्रतिवादी कम 4 वर्तमान में एक वृद्ध महिला है जिसकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो चुकी है जो अपने निर्णय स्वयं लेने में असमर्थ है।

5. यह कि दिनांक 23.12.2024 को प्रतिवादी कम 1 ता 3 प्रतिवादी कम 4 को बहला फुसलाकर मांगरोल पंजीयन कार्यालय में लाये व प्रतिवादी कम 4 को बिना समझाये व बताये प्रतिवादी कम 5 ता 7 के पक्ष में आराजी खाता संख्या 313 ग्राग पाडलिया को छोडकर सम्पूर्ण वाद में वर्णित भूमि का रजिस्टर्ड दान–पत्र प्रतिवादी कम 4 से करवा लिया है जो अवैधानिक होने से शून्य व अवैध घोषित किये जाने योग्य है।

6. यह कि वाद में वर्णित समस्त भूमि वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 4 की पुश्तैनी व पैतृक आराजी है जिसमें वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 4 का बराबर बराबर पैतृक हिस्सा निहित है इसलिए वादी प्रतिवादी कम 1 ता 4 को उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी में समान हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है जिसका वादी कानूनन अधिकारी व नालिसी है।

7. यह कि पूर्व में भी वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 3 के मध्य वाद में वर्णित आराजी को लेकर विवाद हुआ था जिसमें मांगरोल थाने में वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 3 के मध्य आपसी समझौता हुआ था जिसमें भी प्रतिवादी कम 4 के नाम दर्ज भूमियों को उनके 100 वर्ष पूर्ण होने पर वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 3 को हिस्सा बराबर बराबर में दिया

जाना तय हुआ था किन्तु प्रतिवादी कम 1 ता 3 द्वारा बदनीयति पूर्ण प्रतिवादी कम 4 से अपनी अपनी पत्नियों के नाम से रजिस्टर्ड दान–पत्र करवाकर वादी के हिस्से में आने वाली भूमि को भी अपने नाम दर्ज करवा लिया है इसलिए वादी, प्रतिवादी कम 4 द्वारा कराये गये दान–पत्र को अवैध व शून्य घोषित करवाने का अधिकारी व नालिशी है।

8. यह कि प्रतिवादी कम 5 ता 7 द्वारा प्रतिवादी कम 4 से करवाये गये दान–पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करवाने व वादी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी करने की धमकी प्रतिवादी कम 1 ता 3 व 5 ता 7 वादी को दे रहे हैं इसलिए प्रतिवादी कम 1 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है।
9. यह कि प्रतिवादी कम 8 को भू धारक होने पक्षकार बनाया गया है तथा राज्य सरकार के विधिक प्रतिनिधि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां को विधिक नोटिस धारा 80 सी.पी.सी.मियाद 2 माह का जर्ये अधिवक्ता प्रेषित करवा दिया है किन्तु प्रतिवादीगण आराजी को खुर्द–बुर्द करना चाहते हैं इसलिए मियाद नोटिस इन्तजार किया संभव नहीं है तथा वाद आवश्यक प्रकृति का होने से प्रार्थना–पत्र धारा 80 (2) सी.पी.सी. के साथ पेश किया जा रहा है।
10. यह कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पाडलिया तहसील मांगरोल में स्थित होने से वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है बाद कारण दान. पत्र की नकल दि. 26.12.2025 पर उत्पन्न हुआ।
11. यह कि वाद वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का मूल्यांकन लगान का 50 गुणा कायम किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी सादिर फरमायी जावे कि–

(अ) यह कि वाद–पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी कम 4 के नाम दर्ज भूमि हिस्से पर वादी को उसके पैतृक हक अधिकार में बनने वाले हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

(ब) यह कि वाद–पत्र की मद नं0 3 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी कम 4 के नाम दर्ज भूमि हिस्से पर वादी को उसके पैतृक हक अधिकार में बनने वाले हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

(स) यह कि प्रतिवादी कम 4 द्वारा करवाये गये विधि विरुद्ध दान–पत्र दिनांक 23.12.2024 को वादी की हद तक शून्य अवैध घोषित किया जावे।

(द) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के पैतृक हक अधिकार के हिस्से में किसी प्रकार की दखलान्दाजी नहीं करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवायी जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांकः 03.01.2025 को दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन् प्रतिवादिगण को तलब किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर कोर्ट कैम्प बोहत में राजीनामा प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया किः–

1. यह कि ग्राम पाडलिया में स्थित कृषि भूमि खाता सं0. 189 खसरा नं0. 257/3.68, 319/0.31, 518/0.18, 519/0.21 किता 04 कुल रकबा 4.33 है0, व खाता सं0. 255 खसरा नं0. 514/1.16, कुल किता 01 रकबा 1.16 है0, खाता सं0. 269 खसरा नं0. 1092/0.29, 1093/0.06, 35/0.63, 400/0.35, 401/0.08, 402/0.21, 403/0.21 कुल किता 07 कुल रकबा 1.83 है0, खाता सं0. 428 खसरा 256/3.79, कुल किता 01 कुल रकबा 3.79 है0, खाता सं0. 313 खसरा नं0. 1363/597/0.54, 1365/655/0. 10, 702/0.44, 705/1.69, 706/0.21 कुल किता 05 कुल रकबा 2.98 है0, उक्त वर्णित आराजी में मृतक प्रतिवादी क्रम 4 गीता बाई का नाम संयुक्त रूप से खाते में दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि इसी प्रकार वाके ग्राम पाड़लिया में स्थित आराजी खाता सं0. 53, खसरा नं0. 1337/626/0.30, 517/1.00, 522/1.16, 627/0.31 कुल किता 04, कुल रकबा 2.77 है0, खाता सं0. 54 खसरा नं0. 81/1.73, 96/2.04, कुल किता 02, कुल रकबा 3.77 है0, मृतक प्रतिवादी क्रम 4 गीताबाई के एकल खाते दर्ज रिकार्ड है।
3. यह कि पूर्व में दिनांक 23.12.2024 को मृतक प्रतिवादी क्रम 04 गीताबाई द्वारा ग्राम पाड़लिया की आराजी खाता संख्या 189, 255, 269, 428, में वर्णित अपना सम्पूर्ण हिस्सा व खाता सं0. 53, 54, की सम्पूर्ण आराजी का दान अपनी पुत्रवधुओ प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 के पक्ष रजि0. दान–पत्र कर दिया था, जिसका इन्तकाल अभी दर्ज नहीं हुआ है तथा सम्पूर्ण भूमियां मृतक प्रतिवादी क्रम 04 गीताबाई के खाते दर्ज हैं।
4. यह वादी व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 एवम् प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 एवम् प्रतिवादी क्रम 1 महेन्द्र के कानूनी वारिसान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है कि ग्राम पाडलिया की उपरोक्त वर्णित आराजी जिसका वर्णन राजीनामे की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित है। राजीनामे अनुसार गीता बाई के हिस्से व सम्पूर्ण खातों की आराजी का खातेदार बराबर–बराबर हिस्सो में वादी व प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 को घोषित किया जावे जिसमें ही मृतक गीताबाई के हिस्से व खाते दर्ज भूमि का नामान्तरण दर्ज किया जावे।
5. यह कि राजीनामे अनुसार पूर्व में किए गए दान–पत्र बहक प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 दिनांक 23.12.2024 वादी के हिस्से तक शून्य घोषित किए जावे।
6. यह कि वाद में वर्णित आराजी मद नं0. 2 व 3 अनुसार प्रतिवादी क्रम 2 व 3 व प्रतिवादी क्रम 1 के कानूनी वारिसान उक्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 4 मृतक गीताबाई से पैतृक आराजी में मिलने वाले हिस्से का हकतर्क वादी व प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 के पक्ष में करते हैं तथा कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते है।

अतः राजीनामा प्रमाणित किया जाकर उक्त राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर ग्राम पाडलिया की आराजी खाता सं0. 189, 255, 269, 428, 313, 53, 54, की आराजी में मृतक प्रतिवादी क्रम 4 गीताबाई के स्थान पर वादी व प्रतिवादी क्रम 5 ता 7 को हिस्सा बराबर (1/4+1/4) का खातेदार घोषित किया जावे व दान–पत्र दिनांक 23.12.24 का प्रक्रियाधीन इन्तकाल निरस्त किया जावे।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण असालतन कोर्ट कैम्प बोहत में उपस्थित हुए। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर लिखित में राजीनामा पेश किया। राजीनामा सभी पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया। सहमति के अनुसार सभी पक्षकारन् द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये। पक्षकारान् के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करवाये गए एवं उनकी शिनाख्त की गई। उक्तानुसार राजीनामा स्वीकार कर तस्दीक किया गया जो शामिल

फाईल किया गया। लोकअदालत की भावना से किए गए राजीनामे के आधार पर में मुताबिक राजीनामा वाद स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ।

कार्ट कैंप बोहत में समस्त पक्षकारान् के मध्य लोकअदालत की भावना से किए गए समझौते आधार पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की माता तथा 5 ता 7 की सास स्व0. श्रीमति गीता बाई द्वारा किए गए दानपत्र दिनांक 23.12.2024 को वादी के हितो की हद तक शून्य घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार मांगरोल को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पाडलिया के खाता सं0. 189, 255, 269, 428, 313, 53 एवं 54 में मृतक प्रतिवादी क्रम 4 गीताबाई के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5, 6 व 7 को हिस्सा बराबर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 का खातेदार घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते है कि खाता नम्बरान 189, 255, 269, 428, 313, 53 एवं 54 के सदर्भ में प्रकियाधीन नामान्तरण निरस्त कर वादग्रस्त आराजी को वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5, 6, 7 के नाम बांट बराबर 1/4, 1/4 से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

:: क्रियात्मक आदेश ::

कार्ट कैंप बोहत में समस्त पक्षकारान् के मध्य लोकअदालत की भावना से किए गए समझौते के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की माता तथा 5 ता 7 की सास स्व0. श्रीमति गीता बाई द्वारा किए गए दानपत्र दिनांक 23.12.2024 को वादी के हितो की हद तक शून्य घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार मांगरोल को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पाडलिया के खाता सं0. 189, 255, 269, 428, 313, 53 एवं 54 में मृतक प्रतिवादी क्रम 4 गीताबाई के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5, 6 व 7 को हिस्सा बराबर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 का खातेदार घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि खाता नम्बरान 189, 255, 269, 428, 313, 53 एवं 54 के सदर्भ में प्रकियाधीन नामान्तरण निरस्त कर वादग्रस्त आराजी को वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5, 6, 7 के नाम बांट बराबर 1/4, 1/4 से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल
न्यायालय बइजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)
प्रकरण संख्या :– 01/2025 /दावा/बउनवान/संजय बनाम महेन्द्र
जीसीएमएस संख्या 2025/00025
निर्णय दिनांक :– 16.04.2025
बउनवान:–

1. संजय पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)

.......वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
   1/1 सचिव } पुत्रान श्री महेन्द्र जातिगण ब्राह्मण निवासीगण पाडलिया
   1/2 रोहित } हाल निवास दयानन्द कोलोनी बारां
2. योगेन्द्र पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
3. विजेन्द्र पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया वहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
4. गीताबाई पत्नि स्व. श्री बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
5. संगीता वर्ष पत्नि श्री विजेन्द्र, जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल हाल निवास दयानन्द कॉलोनी बारां जिला बारां (राज०)
6. नीतू गालव पत्नि श्री योगेन्द्र गालव जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल हाल निवास दयानन्द कॉलोनी बारां जिला बारां (राज०)
7. श्यामलता पत्नि श्री महेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल हाल निवास दयानन्द कॉलोनी बारां जिला बारां (राज०)
8. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी.एक्ट

वकील वादीगण :– श्री अमित कुमार गौड
वकील प्रतिवादीगएर :– श्री मनोज कुमार आर्य एवं श्री लवकुल गौड

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.04.2025 को अंजना सहरावत पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते बंटवारा पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि जमाबंदी अनुसार ग्राम पाडलिया के खाता सं0. 189, 255, 269, 428, 313, 53 एवं 54 में मृतक प्रतिवादी क्रम 4 गीताबाई के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5, 6 व 7 को हिस्सा बराबर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 का

खातेदार घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते है कि खाता नम्बरान 189, 255, 269, 428, 313, 53 एवं 54 के सदर्भ में प्रकियाधीन नामान्तरण निरस्त कर वादग्रस्त आराजी को वादी एवं प्रतिवादी क्रम 5, 6, 7 के नाम बांट बराबर 1/4, 1/4 से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें। यह आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

अंजना सहरावत(आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
म्प अर्जीदावा	....			स्टाम्पअर्जीदावा	....		
म्प वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
म्प वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
नताना वकील	....			महनताना वकील	....		
र्चा गवाहान	....			खर्चा गवाहान	....		
स कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर	....		
त इजराय हुकमनामा	....			बबत इजराय हुकमनामा	....		
फर्रिक	....			मुतफर्रिक	....		
जान	....			मीजान	....		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।